



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022025-260909
CG-DL-E-11022025-260909

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2025/माघ 22, 1946

No. 689]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2025/MAGHA 22, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2025

का.आ. 693(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-(1) इस आदेश को स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर तालिका के कॉलम (5) के अंतर्गत संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तिथि से भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी:

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्रति वर्ष आयातित पांच सौ किलोग्राम सामानों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, जो इस शर्त के अधीन है कि ऐसे आयातित सामानों और वस्तुओं की वाणिज्यिक बिक्री नहीं की जाएगी और उन्हें स्क्रेप के रूप में निपटाया जा सकता है तथा विनिर्माता ऐसे सामानों या वस्तुओं का वर्षवार रिकार्ड रखेंगे और उसे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में कुछ भी सामानों या वस्तुओं के लिए इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से पहले ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विनिर्माता या ऐसे विनिर्माता द्वारा, जिसने प्रमाणन के लिए ब्यूरो को आवेदन किया है, घरेलू रूप से विनिर्मित या आयातित सामानों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा और ऐसे विनिर्माता को ऐसे घोषित स्टॉक को इस आदेश के कार्यान्वयन की तारीख से छह महीने तक बेचने या प्रदर्शित करने या बेचने का प्रस्ताव करने की अनुमति होगी, जो इस शर्त के अधीन है कि ऐसे विनिर्माता ने ब्यूरो के समक्ष इस आशय की घोषणा की हो।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – उक्त ब्यूरो, तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्रम सं.	वस्तु तथा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)	सामान्य प्रयोजन के लिए स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप और ट्यूब	आईएस 17875: 2022	सामान्य प्रयोजन के लिए स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप और ट्यूब	1 अगस्त, 2025
2)	सामान्य प्रयोजन के लिए स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप और ट्यूब	आईएस 17876: 2022	सामान्य प्रयोजन के लिए स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप और ट्यूब	

टिप्पणी : इस तालिका के प्रयोजनों के लिए, ब्यूरो द्वारा अधिसूचित संशोधनों सहित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण लागू होगा।

[फा. सं. पी-29026/5/2024-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion of Industry And Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 10th February, 2025

S.O. 693(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) This order may be called the Stainless Steel Pipes and Tubes (Quality Control) Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 from the date specified in the corresponding entry under column (5) of the Table:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that nothing in this order shall apply for five hundred kilograms of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of stainless steel pipes and tubes per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and can be disposed of as a scrap and the manufacturer shall maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish to the Central Government:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of commencement of this order by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification and such manufacturer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock up to six months from the date of implementation of this order with the condition that such manufacturer shall made a declaration to this effect to the Bureau.

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.

4. Penalty for contravention. — Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Sl. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)	Stainless Steel Seamless pipes and tubes for general service	IS 17875: 2022	Stainless Steel Seamless pipes and tubes for general service	1st August, 2025
2)	Stainless Steel Welded pipes and tubes for general service	IS 17876: 2022	Stainless Steel Welded pipes and tubes for general service	

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau shall apply.

[F. No. P-29026/5/2024-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.